TOUR REPORT FOR THE PERIOD FROM 29-3-2012 TO 1-4-2012

I started my tour to Betul on 29-3-2012 as per the instruction of Hon'ble Chairman, NCST. Shri R.K. Dubey, Assistant Director Regional Office, Bhopal also joined me on 30-3-2012. The Commission made on the spot inquiry regarding news items " Tribal Woman's elder daughter was sold off" published in the Times of India dated 28-3-2012.

The Commission inspected the site on 30-3-2012 and met the aggrieved family members and discussed the entire incident and also took their statements. On 31-3-2012 the matter was discussed with I.G. and DIG of Police, Hoshangabad, District Collector and S.P.,Batul, Deputy Commissioner (Tribal Development) alongwith other District Officials.

The detailed report of NCST, Regional Office, Bhopal is enclosed and please be taken on record of the Commission for immediate necessary action.

It is also requested that the report may kindly be taken on the site of NCST.

20/4/2012

(Bheru Lal Meena)
Member

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

CHAIRMAN:

127/JS/2012
16/4/12

भारत सरकार/ **Government of India**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(Regional Office for M. P., Maharashtra, Karnataka, Kerala, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep)
कमरा सं. 309,निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52 –ए, अरेरा हिल्स, भोपाल– 462011
Room No.309, Nirman Sadan C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Bhopal,462011

ई–मेल/ e-mail:
ncstmp@mp.nic.in
टेलीफैक्स/ Telefax:
0755 2576530
0755 2578272

NPC/1/2012/STGMP/ATRAPE/RO-BH दिनांकः 13–4–2012

सेवा में,

श्री आदित्य मिश्रा,
संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली–110003

विषयः बैतूल जिले की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार के पश्चात नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण उसकी मां की हत्या करने के संबध में आयोग द्वारा की गई स्थलीय जांच का जांच प्रतिवेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के बेतार संदेश कमांक TO/M/BLM/NCST/29/2012 दिनांक 29–3–2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से श्री भेरू लाल मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त घटना की जांच हेतु बैतूल (म.प्र.) आगमन का कार्यक्रम प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को उनके साथ बैतूल जाने का निर्देश दिया गया था।

आयोग के माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 30–3–2012 को घटना से पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं दिनांक 31–3–2012 को आई.जी एवं डी.आई.जी पुलिस, होशंगाबाद रेंज, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैतूल तथा उपायुक्त (आदिवासी विकास), बैतूल सहित जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई । आयोग द्वारा की गई स्थलीय जांच की रिपोर्ट इस पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपिः श्री आर.के. छिब्बर, श्री भेरू लाल मीणा, माननीय सदस्य के निज सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

Member/BLM
May kindly approve the record of the proceedings enclosed.
16/04

19/4/2012

भेरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

<u>बैतूल जिले की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार के पश्चात नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण उसकी मां की हत्या करने के संबध में श्री भेरू लाल मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा की गई स्थलीय जांच का प्रतिवेदन।</u>

श्री भेरू लाल मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार के पश्चात नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के कारण उसकी मां की हत्या करने की घटना की स्थलीय जांच दिनांक 30–3–2012 से 31–3–2012 तक की गई। जांच में आयोग के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक भी माननीय सदस्य के साथ थे।

भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्रों में इस घटना के संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद आयोग के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 26–3–2012 को पत्र भेजकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, बैतूल से मामले की विस्तृत रिपोर्ट चाही गई थी। इस मामले में दिनांक 28–3–2012 के पत्र द्वारा पुलिस महा निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल से भी रिपोर्ट चाही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में आयोग के माननीय अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव के निर्देश पर माननीय सदस्य श्री भेरू लाल मीणा ने स्थलीय जांच हेतु दिनांक 29–3–2012 को दिल्ली से बैतूल हेतु प्रस्थान किया ।

दिनांक 30–3–2012 को बैतूल पहुंचने पर जिले के अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्य का स्वागत किया गया। तदुपरांत आयोग के माननीय सदस्य एवं श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने हमलापुर स्थित उनके निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे एवं परिजनों के साथ एकांत में चर्चा की। आयोग ने मृतका इमरतीबाई के पति श्री श्यामराव उईके, उनकी बड़ी पुत्री (विवाहिता) परमीला (22 वर्ष), बलात्कार की शिकार छोटी पुत्री रेणुका (लगभग 16 वर्ष), पुत्र परदीप उईके (12 वर्ष), संकू (11 वर्ष) एवं संतोष (8 वर्ष) से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली । चर्चा के दौरान श्री राजेश धुर्वे एवं श्री संजय धुर्वे भी मौजूद थे जो कि श्री श्यामराव उईके के निकट रिश्तेदार हैं।

<u>आयोग को पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी ।</u>

1. बलात्कार पीड़ित कुमारी रेणुका पुत्री श्यामराव उइके (लगभग 16 वर्ष) ने आयोग के जांच दल को बताया कि वह मांझीनगर में सपरिवार रहती थी। दिनांक 10–2–2012 को लगभग 10 बजे वह घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में रानी पत्नी मंटू यादव और उसकी बहन सोना ने उसे रोका और साथ चलने को कहा। राजेश हारोड़े नामक युवक वहां मोटरसाइकिल से आया और रानी के साथ मिलकर वे लोग उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर जबरदस्ती राजेश हारोडे के कमरे में ले गए जहां पर उक्त युवक ने उसके साथ मार–पीट की एवं बलात्कार किया। उसके भाई प्रदीप के बताने पर उसकी मां इमरती बाई वहां आ गई एवं उसने कहा कि गरीबों की इज्जत क्यों लूटते हो। इस पर राजेश ने धमकी दी कि यदि उन लोगों ने इस बात की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई तो वह उसे खत्म कर देगा। इसके बाद श्रीमती इमरती बाई अपनी पुत्री रेणुका को लेकर स्कूल गई जहां पर मैडम को जानकारी दी एवं अपनी मौसी को भी बताया। साथ ही स्थानीय पुलिस थाने में घटना की लिखित रिपोर्ट की। पूछे जाने पर कु. रेणुका ने आयोग के जांच दल को बताया कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ताओं को न तो पढ़कर सुनाई और न ही उस की प्रति उन्हें दी।

कु. रेणुका ने जांच दल को यह भी बताया कि रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी रानी को पकड़ लिया और दो–तीन दिन बाद छोड़ा। रिपोर्ट लिखाने से उसका पति मंटू यादव, राजेश हारोडे एवं उनके साथी बहुत नाराज़ थे। होली के तीन–चार दिन पहले उनके घर में आग लगा दी गई जिसकी सूचना उमेश माली ने उन्हें दी। उमेश माली ने उन्हें बताया था कि आग राजू यादव ने लगाई जो कि आरोपी रानी का देवर है। तथापि पुलिस ने उमेश माली के साथ मार–पीट की एवं दबाव डालकर उसके कथन बदलवा दिए। घर में आग लगाने की घटना पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घर में आग लगा दिए जाने एवं आरोपियों से डरकर पीड़ित परिवार मांझीनगर से आकर गोंडी मोहल्ला, हमलापुर में रहने लगा। यह मकान निर्माणाधीन है।

दिनांक 19–3–2012 को रात्रि 9.30 के लगभग प्रवीण यादव, राजू यादव, रानी आदि उनके घर पर आए और उन्होंने बलात्कार के मामले में बयान बदलने तथा समझौता करने को कहा और धमकी दी कि ऐसा न करने पर वे लोग उन्हें उड़ा देंगे। शोर सुनकर स्थानीय पार्षद रमकी बाई उइके सहित आस–पास के लोग भी इकट्ठे हो गए जिससे कि वे लोग भाग गए। उन लोगों द्वारा 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई किन्तु उन्हें उत्तर मिला कि अभी थाने में स्टाफ नहीं है और पुलिस सुबह आएगी। अभी वे लोग दरवाज़ा बंद कर ले। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन मकान में कोई दरवाज़ा नहीं है।

कु. रेणुका ने आयोग के जांच दल को बताया कि अगले ही दिन अर्थात दिनांक 20–3–2012 को उसकी मां इमरती बाई ने पुलिस अधीक्षक, बैतूल, थाना प्रभारी, अजाक थाना, बैतूल एवं कलेक्टर कार्यालय, बैतूल को इस घटना की सूचना दी। किन्तु पुलिस द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद दिनांक 23–3–2012 को रात 9.00 बजे के लगभग राजू यादव आया। उस समय उसकी मॉ इमरती बाई मच्छरदानी बांध रही थी। राजू यादव ने दो गोलियां चलाईं जिनमें से एक उसकी मॉ को लगी। उसकी मॉ घर के पीछे भागी और गिर गई। राजू के साथ मंटू और प्रवीण भी आए थे जो घर के बाहर खड़े होकर बोल रहे थे कि रोज हमारी शिकायत करती है। आज निपटा दो। इन लोगों के साथ रानी यादव भी आई थी जो कुछ दूर सड़क के पार खड़ी थी । वारदात के बाद वे लोग भाग गए। सूचना दिए जाने के थोडी देर बाद पुलिस की गाडी आई और उसकी मॉ को उठाकर अस्तपताल ले गई। रास्ते में उसकी मॉ की मृत्यु हो गई।

2. श्री श्यामराव उइके ने आयोग के जांच दल को बताया कि वे राज मिस्त्री का काम करते हैं तथा आजकल प्रायः अस्वस्थ रहते हैं। उनकी सॉस फूलने लगती है अतः उनकी पत्नी इमरती बाई ही मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। दिनांक 10 फरवरी को उनकी छोटी बेटी रेणुका के साथ राजेश हारोड़े ने बलात्कार किया था जिसकी नामजद शिकायत उसी दिन थाने में की गई थी। इसके बाद पुलिस ने रानी यादव को गिरफ्तार किया था जिसके कारण राजेश हारोड़े एवं रानी के परिजन रंजिश रखते थे। रिपोर्ट वापस लेने तथा समझौता करने के लिए धमकाते थे। उनका मांझीनगर स्थित घर भी जला दिया गया जिसके कारण वे लोग गोंडी मोहल्ला, हमलापुर में रहने के लिए आ गए। दिनांक 19–3–2012 को रात को आरोपी उनके घर धमकी देने आए थे। इसकी शिकायत दिनांक 20–3–2012 को पुलिस अधीक्षक, अजाक थाना एवं कलेक्टर से जनसुनवाई में की गई थी किन्तु पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की। दिनांक 23–3–2012 को रात 9.00 बजे के लगभग खाना खाकर वे घर के बाहर खटिया पर लेटे थे। तभी राजू यादव, मंटू यादव, प्रवीण, राजेश हारोड़े तथा मोटू कोरकू उनके घर आए। मोटू कोरकू ने उनके ऊपर तलवार अड़ा दी और कहा कि हिलना मत, नहीं तो जान से खतम कर दूंगा। वे डर कर पड़े रहे। मंटू, राजू तथा प्रवीण मकान के दरवाजे तक गए। उन्हें दो बार गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वे लोग बोल रहे थे कि बार–बार शिकायत करती है, आज इसे निपटा दो। इसके बाद वे लोग भाग गए। उनकी लडकी रेणुका चिल्लाई कि पापा राजू ने मम्मी को गोली मार दी। उन्होंने जाकर देखा तो उनकी पत्नी इमरती घर के पीछे पड़ी थी। सूचना देने के बाद पुलिस आई और उसे अस्पताल ले गई किन्तु उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। बलात्कार की शिकायत वापस न लेने तथा समझौता न करने के कारण इन लोगों ने उनकी पत्नी की हत्या की है। यदि पुलिस ने उन लोगों की 20–3–2012 की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो उनकी पत्नी की हत्या नहीं होती।

3. श्री श्यामराव उइके की बड़ी बेटी (विवाहिता) परमीला ने आयोग को जानकारी दी कि आरोपी रानी यादव एवं उसका पति उसे वर्ष 2009 में वैष्णोदेवी जाने के नाम पर घर से लेकर गए किन्तु वहां न जाकर देवास जिले में उसे आनंदी लाल विश्वकर्मा को बेच दिया जो कि मजदूर है। उसे खुद को बेचे जाने की जानकारी तब हुई जब वह पिछले साल बरसात में बैतूल में अपने परिजनों के पास वापस लौटी। आनंदी लाल विश्वकर्मा ने उससे शादी की और उनका एक पुत्र है। उसने यह भी बताया कि वह अपने पति के साथ संतुष्ट है और उनके विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं चाहती। उसने आयोग को बताया कि इस संबंध में उसने पुलिस को भी शिकायत की थी किन्तु पुलिस ने कोई कार्रवाई नही की। परमीला ने भी अपनी छोटी बहन के साथ बलात्कार एवं मॉ इमरती बाई की हत्या के संबंध में वही जानकारी दी जो उसके पिता एवं छोटी बहन ने आयोग को दी थी।

4. आयोग के जांच दल ने पीड़ित परिवार के बच्चों– परदीप उईके (12 वर्ष), संकू (11 वर्ष) एवं संतोष (8 वर्ष) से भी इन घटनाओं के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने भी उपरोक्त घटनाक्रम दोहराया। आयोग ने पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों श्री राजेश धुर्वे एवं संजय धुर्वे से भी चर्चा की जिन्होंने बताया कि हत्या की घटना उन्होंने नहीं देखी है।

राहत एवं पुनर्वास के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित परिवार ने बताया कि बलात्कार के मामले में रू. 10,000/– नकद तथा रू. 15,000/– का चेक प्राप्त हुआ है। इमरती बाई की हत्या के मामले में रू. 10,000/– नकद एवं रू. 1,40,000/– का चेक प्राप्त हुआ है। इस मामले में रू. 2,00,000/– की राशि आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त रू 1,000/– हजार प्रति माह के मान से छ माह के लिए रू 6,000/– की राशि तत्काल सहायता हेतु निर्वाह भत्ते के रूप में स्वीकृत की गई है। आयोग द्वारा पूछे जाने पर पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की गई है।

<u>वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं जिले के कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों से चर्चा।</u>

दिनांक 31–3–2012 को आयोग के माननीय सदस्य श्री भेरूलाल मीणा ने होशंगाबाद रेंज के पुलिस महा निरीक्षक श्री विजय कटारिया, उप महा निरीक्षक श्री अमित गुप्ता, श्री ललित शाक्यवार, पुलिस अधीक्षक, बैतूल, जिला कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर, आदिवासी विकास विभाग की उपायुक्त श्रीमती उषा अजय सिंह सहित जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार की शिकायतों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की

गई कार्रवाई का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराया जिसके अनुसार फरियादिया कु. रेणू उर्फ रेणुका पुत्री श्यामराव उइके, जाति गोंड, उम्र 16 साल, निवासी –मांझी नगर, हमलापुर की रिपोर्ट पर थाना बैतूल में अप. क्र. 89/12 धारा 376, 342, 506, 109 भादवि 3–2(5) एससी/एसटी एक्ट का मामला दिनांक 10–2–12 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण की विवेचना की गई एवं फरियादिया द्वारा बताया गये आरोपी रानी पति मंटू उर्फ शंकर यादव, उम्र 23 साल, निवासी –मांझी नगर, हमलापुर को दिनांक 11–2–12 को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी राजेश पिता कुंडलिकराव हारोड़े, निवासी–मांझी नगर की तलाश दिनांक 11–2–12, 21–2–12, 27–2–12, 5–3–12, 23–3–12 को लगातार की गई एवं दिनांक 26–3–12 को उसे गिरफ्तार किया गया है। थाना बैतूल के अप. क्र. 227/12 धारा 307, 302, 34 भादवि 3–2(5) एससी/एसटी एक्ट, 25–27 आर्म्स एक्ट के आरोपी मोटू उर्फ मुकेश से तलवार जप्त कर दिनांक 24–3–12 को गिरफ्तार किया गया, आरोपी प्रवीण माली, मंटू उर्फ शंकर यादव, गणेश कोरकू तथा राजू यादव को दिनांक 28–3–12 को गिरफ्तार किया गया। राजू यादव से एक देशी पिस्टल बरामद किया गया है। प्रकरण का एक आरोपी राजेश हारोड़े जेल में निरूद्व है जिसकी गिरफ्तारी की जाकर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदिका इमरती बाई (मृतिका) के द्वारा दिनांक 20–3–12 को दिए गए आवेदन पत्र की जांच पर थाना अजाक, बैतूल के अपराध कमांक 11/2012 धारा 294, 506, 427, 34 भादवि, 3–1(10) एससी/एसटी एक्ट की विवेचना के उपरांत आरोपी रानी यादव, राजू यादव, प्रवीण माली को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण में शीध्र ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बैतूल ने आयोग को इन मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट, कथनों, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई। उन्होंने अवगत कराया कि बलात्कार एवं हत्या की वारदातों के सिलसिले में सभी 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं एवं पीड़ित परिवार को 2/2 की सशस्त्र पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। पूर्व पुलिस अधीक्षक श्री बी.एस. चौहान द्वारा दिनांक 23–3–2012 से 26–3–2012 तक रोज घटना स्थल पर भ्रमण किया गया है एवं कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने भी दिनांक 29–3–2012 को पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है।

जिला कलेक्टर ने आयोग के माननीय सदस्य को जानकारी दी कि बलात्कार के मामले में राहत राशि के रूप में रू. 10,000/– मात्र का नकद का भुगतान किया गया है तथा रू. 15,000/– की राशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है। इमरती बाई की हत्या के मामले में रू. 2,00,000/– की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से रू. 10,000/– की राशि नकद एवं रू.

1,40,000/– की राशि मृतिका के पति श्री श्याम राव उइके को चेक द्वारा दी गई है। निर्वाह भत्ते के रूप में रू. 6,000/– की राशि का भुगतान किया गया है।

आयोग के दल ने जिले के अधिकारियों से पीड़ित परिवार के बच्चों की शिक्षा, उनके मकान के पुनर्निर्माण तथा आजीविका हेतु किसी एक सदस्य को नौकरी दिए जाने अथवा नियमानुसार कृषि योग्य भूमि दिए जाने के मामले में भी चर्चा की।

<u>अत्याचार की घटनाओं के बारे में आयोग के जांच दल का आंकलन</u>

पीड़ित परिवार के साथ चर्चा, पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोग को दी गई जानकारी एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पीड़ित परिवार ने अपने साथ हो रही अत्याचार की विभिन्न घटनाओं के संबंध में स्थानीय पुलिस को बार–बार जानकारी दी। दिनांक 10–2–2012 को कु. रेणुका के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। किन्तु पीड़ित परिवार के घर को जलाने के मामले में पुलिस द्वारा गहन जांच एवं कार्रवाई अपेक्षित थी। दिनांक 19–3–2012 को रात में आरोपियों द्वारा बलात्कार की शिकायत के मामले में शिकायत वापस लेने और समझौता करने के लिए जान से मारने की धमकी की शिकायत पीड़ित परिवार ने अगले ही दिन (दिनांक 20–3–2012) पुलिस अधीक्षक, अजाक थाने एवं कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में की थी किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हुई। इसके कारण आरोपियों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने दिनांक 23–3–2012 की रात को श्रीमती इमरती बाई की गोली मारकर हत्या कर दी। यदि पीड़ित परिवार (श्रीमती इमरती बाई) द्वारा दिनांक 20–3–2012 को स्थानीय प्रशासन, विशेष कर पुलिस को की गई शिकायत पर पुलिस द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की गई होती तो श्रीमती इमरती बाई की हत्या नहीं होती। अतः यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इस मामले में पुलिस द्वारा लापरवाही बरती गई एवं समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। उपरोक्त तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि श्रीमती इमरती बाई द्वारा दिनांक 20–3–2012 को की गई शिकायत पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25–3–2012 को (श्रीमती इमरती बाई की हत्या के बाद) दर्ज की गई।

<u>आयोग के अनुशंसाएं</u>

पीड़ित परिवार एवं बैठक में उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा के बाद पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने एवं उनके पुनर्वास हेतु निम्नानुसार अनुशंसाएं की जाती हैः

1. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) के बिन्दु 21 के अंतर्गत पीड़ित परिवार के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण पोषण के पूरे खर्च की व्यवस्था हेतु बच्चों को अगले सत्र से आश्रम स्कूलों/ आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए। जांच दल द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर, बैतूल एवं उपायुक्त, आदिवासी विकास, बैतूल से चर्चा की गई है एवं उन्होंने इस पर सहमति दी है।

2. उपरोक्त नियम के अंतर्गत पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार अथवा कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान है। चूंकि कु. रेणुका अभी नाबालिग है एवं उसके पिता अस्वस्थ रहने के कारण खेती नहीं कर सकते हैं अतः उसे बाल पुलिस के रूप में नौकरी दी जा सकती है एवं वयस्क होने पर नियमित पुलिस बल में सम्मिलित किया जा सकता है। यदि यह संभव न हो तो वयस्क होने पर उसे अन्य शासकीय विभाग में रिक्त पद पर नियुक्ति दी जाए। कु. रेणुका को भी आयोग के माननीय सदस्य द्वारा कक्षा 8वीं की परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है। पुलिस महा निरीक्षक, होशंगाबाद रेंज एवं जिला कलेक्टर, बैतूल ने भी इस संबंध में आयोग को आश्वासन दिया है।

3. चूंकि पीड़ित परिवार का घर जला दिया गया है और उनके द्वारा गोंडी मोहल्ला, हमलापुर में निर्माणाधीन एवं अपूर्ण मकान का निर्माण उपरोक्त नियमानुसार शासकीय खर्च पर पूर्ण किया जाए।

4. श्री श्यामलाल उइके की बड़ी पुत्री परमीला की आरोपी रानी एवं उसके परिजनों द्वारा कथित रूप से खरीद–फरोख्त किए जाने की शिकायत की भी जांच की जाए एवं इस संबंध में आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

5. दिनाांक 20–3–2012 को श्रीमती इमरती बाई द्वारा की गई शिकायत पर समय पर कार्रवाई न करने हेतु स्थानीय पुलिस थाने, अजाक थाने एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बैतूल में पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व कर्तव्यपालन में लापरवाही हेतु शासकीय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही दोषी लोक सेवकों के विरूद्व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाए।

6. पीड़ित परिवार के ऊपर अत्याचार की इन घटनाओं का सक्षम न्यायालय से निर्णय होने तक परिजनों एवं गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

7. इन मामलों में न्यायालयीन कार्रवाई हेतु सुयोग्य एवं अनुभवी अभिभाषकों की नियुक्ति की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आयोग को आश्वासन दिया गया है कि न्यायालय में पैरवी के लिए ए जी पी के स्थान पर जी, पी, को प्रकरण सौंपा जा रहा है।

8. उपरोक्त अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी इस आयोग को तीन माह के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

20/4/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi